

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III / 3309

दिनांक :- 25/06/2019

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय के कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश / पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स. (1)	लिक नं. (2)	नाम (सर्वश्री) / पदनाम (3)	वर्तमान विभाग (4)	अतिरिक्त कार्य का विभाग (5)	अतिरिक्त कार्य का पद (6)
1	10030	पंकज कुमार गोदारा / कनिष्ठ लेखाकार	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजसमंद - 22395	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राजसमंद - 1123	कनिष्ठ लेखाकार
2	10023	प्रहलाद राय / कनिष्ठ लेखाकार	अधिकाधिक अभियंता, सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजसमंद - 23199	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राजसमंद - 1123	कनिष्ठ लेखाकार
3	12508	प्रेम सिंह / कनिष्ठ लेखाकार	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बालोतरा, बाड़मेर - 20390	सहायक आयुक्त, श्रम विभाग, बालोतरा, बाड़मेर - 16521	कनिष्ठ लेखाकार
4	12884	सरजीत / कनिष्ठ लेखाकार	तहसीलदार, राजस्थान विभाग, सादुलशहर, श्रीगंगानगर - 19220	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, सादुलशहर, श्रीगंगानगर - 3072	कनिष्ठ लेखाकार

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III / 3309

दिनांक :- 25/06/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II) / संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)